संख्या : 784 / XVII-2 / 2010-08(33) / 2005

प्रेषक,

एस0 के0 मुट्टू,
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक: 19 अगस्त, 2010

विषयः-राजकीय सम्प्रेक्षण गृह अल्मोड़ा के भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1136 / स0क0 / निर्माण-118 / 2009-10 दिनांक 04 जून, 2009, जिसके द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह अल्मोड़ा के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन रु0 92.35 लाख का उपलब्ध कराया गया है तथा टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त रु0 90.26 लाख की धनराशि को औचित्यपूर्ण पाया गया है के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भवन निर्माण हेतु संस्तुत पुनरीक्षित लागत रु0 90.26 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त कार्य हेतु शासनादेश संख्या-107 / XVII-2 / 2008-08(33) / 2005 दिनांक 15 फरवरी, 2008 तथा शासनादेश संख्या 32 / XVII-2 / 2010-08(33) / 2005 दिनांक 04 फरवरी, 2010 द्वारा पूर्व स्वीकृत कुल रु0 67.24 लाख की धनराशि के अतिरिक्त अवशेष रु0 23.02 लाख की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशालय द्वारा आहरित कर सीधे कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, अल्मोड़ा को यथाशीघ्र समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जायेगी।
2. **उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-475 / XXVII(07) / 2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6 एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद पर किया जाए। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

11. जी0पी0डब्लू0 फार्म 9 की शर्तो के अनुसार इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

12. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब के कारण यदि आगणन का पुनरीक्षण किया जाना हो, तो उसे कार्यदायी संस्था अपनी निजी स्रोतों से वहन करेंगे। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

14. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरादायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

15. **मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।**

16. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार सुदुपयोग सुनिश्चित कर लिए जाने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त ही शेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी। योजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक

प्रगति का मासिक विवरण के साथ बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनायें नियमिति रूप से निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

17. तकनीकी परीक्षण के उपरान्त यथा संशोधित औचित्यपूर्ण आगणन की प्रति भी संलग्न की जा रही है।

18. भविष्य में यदि प्रांकलन का पुनरीक्षण किया जाता है तो अतिरिक्त पुनरीक्षित लागत पर कोई सेन्टेज देय नहीं होगा।

19. अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अधीन लेखाशीर्षक ''4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–02 समाज कल्याण(आयोजनागत)–103 महिला कल्याण–06 किशोर न्याय(बालकों का संरक्षण एवं देखरेख) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण'' के मानक मद–''24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

21. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:–213(P)XXVII(3)10–11 दिनांक: 02 जुलाई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(एस0 के0 मुट्टू)
अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या :784/XVII–02/2010–08(33)/2005 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, अल्मोड़ा।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्मोड़ा ।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(स्नेहलता अग्रवाल) 11/8/2010
अपर सचिव